Need to enhance the pension of EPF pensioners and provide other social security benefits-Laid

श्री राजीव राय **(**घोसी**) :** मैं सरकार का ध्यान कारखाना श्रमिकों की लगभग तीन दशकों से अत्यल्प फिक्स्ड पेंशन में सुधार व कल्याणकारी योजनाओं के अभाव में उम्रदराज होते जा रहे कारखाना पेंशनर्स की दयनीय आर्थिक और सामाजिक दुर्दशा तथा लम्बे समय से न्यूनतम पेंशन में जरूरी सुधार की जरुरत की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । मज़दूर आज भी मात्र 1000 रूपये की न्यूनतम पेंशन पर गुजर वसर करने को विवश हैं । इनके जमा पैसे को ही नई बढ़ोतरी दर के साथ भुगतान सरकार नहीं कर रही है । यहाँ तक कि कोश्यारी समिति की सिफारिशों, ईपीएफओ (EPFO) के ट्रस्टियों के केन्द्रीय बोर्ड तथा लोकसभा की स्थायी समिति की ईपीएफ पेंशनर्स को न्यनतम् पेंशन रु0 3000/- मासिक निर्धारित किये जाने की सिफारिशों तक पर भी अमल करने में सरकार कई सालों से टाल-मटोल कर रही है । आश्चर्यजनक है कि संसद में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित तथा सरकारी गजट के प्रकाशन के बावजूद नवम्बर 2014 से लागू न्यूनतम पेंशन रु0 1000/- का भुगतान भी लाखों ईपीएफ पेंशनरों को नहीं किया जा रहा है । आज के परिवेश में मात्र 1000 रूपये में किसी का गुजर बसर कैसे चल सकता है? सरकार का अंशदान 1971 की पुरानी स्कीम में भी 1.16 प्रतिशत था, और आज भी 1.16 प्रतिशत ही है । कोश्यारी समिति ने इसे बढ़ाकर 8.33 प्रतिशत और न्यूनतम पेंशन बढ़ा कर 3000 रूपये की सिफारिश की थी । एक दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाबजूद सरकार ने अभी तक इस समिति की सिफारिश को लागू नहीं किया है ।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि:-

1. मिनिमम पेंशन रु0 7500/- एवं महंगाई भत्ता जो कि ईपीएफओ (EPFO) के पेंशन फंड से दी जा सकती है । यह उचित मांग कोश्यारी समिति (राज्य सभा पिटीशन 147) की सिफारिश के अनुसार (रु0 3000/- या अधिक तथा उस पर महंगाई भत्ता) 9-10 वर्षों में बढ़ी हुई मंहगाई को देखते हुए की गई है ।

2. सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को तथा उनके पत्नी/पति को मुफ्त मेडिकल सुविधा प्रदान की जाय ।

3. जिन सेवानिवृत कर्मचारियों को ई0पी0एस095 योजना में शामिल नहीं किया जा सका है उन्हें उसका सदस्य बनाकर योजना में लाया जाए अथवा अनुकम्पा के आधार पर 5000/- रु0 की राशि मासिक पेंशन के तौर पर प्रदान की जाए । देश में ऐसे निवृत्त कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है ।